वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित करने के प्रपत्र/प्रमाण पत्र

विषय सूची

क0सं0	प्रमाण–पत्र/अन्य सूचनायें	पृष्ठ संख्या
1.	प्रतिवेदन	
2.	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति	
3.	भारत सरकार के प्रपत्र (I से V)	
4.	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट	
5.	प्रभावित वन भूमि का लैण्ड शैड्यूल	
6.	परियोजना की लम्बाई चौड़ाई का विवरण	
7.	प्रभावित वृक्षों एवं वास्तविक रूप से पातन किये जाने वाले वृक्षों की सूची	
8.	काटे जाने वाले वृक्षों की मूल्य सूची एवं आउट टर्न	
9.	बांज प्रजाति के वृक्षों के पातन का प्रमाण–पत्र	
10.	राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य सम्बन्धी प्रमाण–पत्र	
11.	परियोजना स्थल की राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य से दूरी का प्रमाण–पत्र	
12.	प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने का मानचित्र	
13.	प्रस्तावित परियोजना का लेआऊट प्लान एवं परियोजना का मदवार विवरण	
14.	वैकल्पिक समरेखणों को मानचित्र पर प्रदर्शित कर उनके निरस्त किये जाने का प्रमाण–पत्र	
15.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का मानचित्र एवं प्राक्कलन	
16.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण–पत्र	
17.	परियोजना का बार चार्ट	
18.	रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण का प्राक्कलन एवं मानचित्र	
19.	प्रस्तावित परियोजना से वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण–पत्र	
20.	प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र	
21.	आम सभा का प्रमाण–पत्र	
22.	परियोजना का कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण–पत्र	
23.	भू–वैज्ञानिक की आख्या (प्रतिवेदन सहित)	
24.	भू–वैज्ञानिक एवं जिला टास्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र	
25.	जिलाधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मॉग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र	
26.	धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण–पत्र	
27.	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र	
28.	दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र	
29.	पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)	
30.	वन भूमि के मूल्य/लीज रेन्ट का प्रमाण–पत्र	
31.	एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र	
32.	मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की दरों में वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप बढ़ी हुई धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र	
33.	लागत लाभ विशलेषण प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)	
34.	प्रस्तावित स्थल, स्थल विशिष्ट होने अथवा न होने का प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)	

35.	परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलवा निस्तारण की योजना	
36.	मानक शर्ते मान्य होने का प्रमाण–पत्र	
37.	आर0सी0सी0 पिलरों के सीमांकन का प्रांकलन एवं देय धनराशि का प्रमाण–पत्र	
38.	लीज अवधि का प्रमाण–पत्र	
39.	जल विद्युत परियोजना हेतु कैचमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान	
40.	परियोजना से सम्बन्धित अन्य सूचनायें	

परियोजना का नामः–

प्रतिवेदन

(परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण)

जनपद–.....

.....

.....

.....

ह0/–

(प्रयोक्ता एजेन्सी)

परियोजना का नामः–

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश

परियोजना का नामः–

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने हेतु आवश्यक धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी जायेगी।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

परिशिष्ठ

(देखिय नियम–6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :–

1.

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

ग) परियोजना की लागत।

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जानेके लिए)

च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है

क) परिवारों की संख्या

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)

.

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां / नही)

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावजेजों का व्यौरा।

दिनांक.....

स्थान.....

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

नाम

मोहर

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

भाग– ।।
(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान

i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र
ii) जिला
iii) वन प्रभाग
iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
v) वन की कानूनी स्थिति
vi) हरियाली का घनत्व
vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 – 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए
viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।
ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी
x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयॉ अनुबन्धित की जाए)
xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ /संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियॉ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।
xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेंत्र में स्थित है, यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या

8— प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग—1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।

9— क्या अधिनियम के उल्लघंन में कोई कार्य किया गया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लघंन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं।

10— प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौराः—

i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस—पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू—खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू—खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू—खण्ड का आकार।

ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस—पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।

iii रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।

iv प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।

v प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण—पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।

11— जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

12– प्रभाग / जिला प्रोफाइल

i. जिला का भौगोलिक क्षेत्र।
ii. जिला का वन क्षेत्र।
iii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।
iv. 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण
(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि
(ख) वनेत्तर भूमि पर
..... तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति
(क) वन भूमि पर
(ख) वनेत्तर भूमि पर

13– प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

दिनांक.....

स्थान.....

हस्ताक्षर

नाम

सरकारी मोहर

भाग– ।।।

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14– स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

15– क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

16– प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

हस्ताक्षरः

तिथि.....

नाम और पदनाम

स्थान.....

सरकारी मोहर

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17– टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

हस्ताक्षरः

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर

भाग–V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

17– राज्य सरकार की सिफारिशः
(उपर्युक्त भाग–।। या भाग–।।। या
भाग–**IV** में किसी अधिकारी या प्राधिकारी
द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर
विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षरः

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर

<u>परियोजना का नामः–</u>

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक ——————————को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री ...., राजस्व विभाग की ओर से श्री.., प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री .... एव श्री... द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि ....हे0, सिविल एवं सोयम वन भूमि .. ..हे0, वन पंचायत भूमि............हे0 एवं नाप भूमि ....हे0 प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।

आवेदित वन भूमि में जिन वृक्षों का पातन किया जाना है उनकी सूची संलग्न है।

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना है)..
....
....
....

ह0 / –	ह0 / –	ह0 / –
(प्रयोक्ता एजेन्सी)	**राजस्व विभाग प्रतिनिधि**	**वन विभाग प्रतिनिधि**

प्रति हस्ताक्षरित **जिलाधिकारी**	**प्रति हस्ताक्षरित** **प्रभागीय वनाधिकारी**

परियोजना का नाम.....

लैन्ड शेड्यूल
(वन विभाग)

जिला	प्रभाग का नाम	वन ब्लाक	लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल (हे0)

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

लैन्ड शेड्यूल

सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि का लैन्ड शेड्यूल के लिये (राजस्व विभाग)/ जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र

जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं0	कुल रकवा	याचित क्षेत्रफल (हे0)

ह0/–
जिलाधिकारी

कार्यालय उप वन संरक्षक, ...
संख्या– / दिनांकः , 200.

वृक्षों के पातन का प्रमाण–पत्र

जनपद–..... के निर्माण हेतु .....हे0 वन भूमि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पातन होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :–

क0 सं0	ब्लाक	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण–पत्र

जनपद– ..... वन भूमि के हस्तान्तरण हेतु मेरे द्वारा दिनांक .... को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बांज वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :–

क0 सं0	ब्लाक	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	
1		बांज										

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

ह0/–

वन संरक्षक,

परियोजना का नामः–

राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य प्रमाण–पत्र

_____

_____

_____

_____ राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा है या नही है।

ह0/
प्रभागीय वनाधिकारी

परियोजना का नामः—

परियोजना का नामः—

प्रस्तावित परियोजना का स्थल मानचित्र

प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने की टोपोशीट का मानचित्र जिसमें आरक्षित वन भूमि को हरें रंग से, सिविल वन भूमि को पीले रंग से, वन पंचायत भूमि को नीले रंग से नाप भूमि को अन्य रंग से, प्रस्तावित समरेखण को लाल रंग से एवं वैकल्पिक समरेखणों को अन्य रंग से दर्शाया जाय। इसके अतिरिक्त मानचित्र में स्पष्ट संकेत सूची बनाकर मानचित्र में प्रभागीय वनाधिकारी, जिलाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर कराये जाय।

परियोजना का नामः–

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का मानचित्र

प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने की टोपोशीट का मानचित्र जिसमें आरक्षित वन भूमि को हरें रंग से, सिविल वन भूमि को पीले रंग से, वन पंचायत भूमि को नीले रंग से नाप भूमि को अन्य रंग से दर्शाकर उसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को स्पष्ट रूप से लाल रंग से दर्शाया जाय व क्षतिपूरक स्थल तक पहुॅच मार्ग भी मानचित्र में दर्शाया जाय। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का चयन सिविल/वन पंचायत भूमि में ही किया जाय। यदि क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का चयन आरक्षित वन भूमि मं किया जता है तो उसके सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्पष्ट आख्या/टिप्पणी उपलब्ध करायी जाय। मानचित्र में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर करायें जाय।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

परियोजना का नाम–

क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तैयार की जायेगी व उसमें हस्ताक्षर किये जायेगें।

परियोजना का नामः–

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र

_____

_____

_____

_____ क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

परियोजना का नामः–

वारचार्ट

कि0मी0 कि0मी0

आरक्षित वन भूमि	
सिविल एवं सोयम वन भूमि	
वन पंचायत भूमि	
नाप भूमि	

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

परियोजना का नामः–

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वॉछित धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

ह0/–
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

परियोजना का नामः–

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से वृक्ष प्रभावित नही हो रहे है।

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

परियोजना का नामः–

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने हेतु आवश्यक धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी जायेगी।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

परियोजना का नामः–

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र

_____

_____

_____

ह0/–

प्रधान/सरपंच

मोहर

परियोजना का नामः–

परियोजना की लम्बाई–चौड़ाई का प्रमाण–पत्र।

.....वन भूमि की लम्बाई.....मीटर, चौड़ाई.....मीटर कुल.....वर्ग मीटर अर्थात .....हे0 है।

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

परियोजना का नामः–

वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण–पत्र।

प्रस्तावित परियोजना हेतु .....समरेखणों पर विचार किया गया। समरेखण संख्या–.....के कारण निरस्त किया गया। समरेखण सख्या.....के कारण निरस्त किया गया एवं समरेखण संख्या.....के कारण उचित पाया गया जो कि प्रस्तावित है।

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

परियोजना का नामः–

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अर्न्तगत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

ह0/–

ह0/–
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

प्रभागीय वनाधिकारी

परियोजना का नामः–

भू–वैज्ञानिक की आख्या

परियोजना का नामः–

भू–वैज्ञानिक/ जिला टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू–वैज्ञानिक/जिला टॉस्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों/शर्तो का निर्माण कार्य के दौरान...................द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
(ii) (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping is view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in roak. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
(iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made
(v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with go d results.

(vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tacking land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियाँ याचक विभाग को मान्य हैं।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

परियोजना का नामः–

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुॅचायें जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख–रखाव के दौरान.....द्वारा वन्य जीव/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नही पहुॅचाया जायेगा।

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

परियोजना का नामः–

अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा याचित ..... हे0 वन भूमि की मांग न्यूनतम है इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नही है।

ह0/	ह0/	ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी	प्रभागीय वनाधिकारी	जिलाधिकारी

परियोजना का नामः–

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नही है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नही की गई है।

ह0/	ह0/–	ह0/–
(प्रयोक्ता एजेन्सी)	**प्रभागीय वनाधिकारी**	**जिलाधिकारी**

परियोजना का नामः–

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

ग्राम	परिवार	जनसंख्या
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

प्रयोक्ता एजेन्सी

परियोजना का नामः–

दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु .....हे0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के एवज में दुगने अवनत वन क्षेत्र अर्थात .....हे0 में देय क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार .....द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।

ह0/–

प्रयोक्ता एजेन्सी

परियोजना का नामः–

पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

परियोजना का नामः–

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु .....हे0 वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रूपये––––––––––––––––––––प्रति हे0 है तथा वन भूमि का कुल मूल्य रू0..... होता है तथा वार्षिक लीज रेन्ट .....प्रतिशत की दर से .....रू0 होता है।

ह0/–
जिलाधिकारी

परियोजना का नामः—

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि ....द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी ..... द्वारा जमा करा दी जायेगी।

ह0/—
प्रयोक्ता एजेन्सी

Cost Benefit Ratio Chart

Name of Project –

Block:- **Disti:-**

SL. No.	**Particulars**	Amount	Remark
1	**Total cost (Investment incrred)**		
(A)	Construction Cost of Project		
(B)	N.P.V. Amount to be disposed @ 9.20 lak/Hararc 5 x9.20=		
(D)	Substitule/Alternation Planlation Cost to be Disposed:-		
	Total		
2	Benefits:- Bebefits from (Taking Age of Road As 50 Years)		
(A)	Economics Benefits-Market Development Taking		
(B)	Direct Employment of Labours-		
(C)	Employment Generation Due to other activities		
Note	Therefore construction of Economically Viable and social bencficial.		

Name of Project:-

Parameter for Evaluation of loss of Forests
Nature of Proposal Annexure-VI (B)

Sl.no.	Parameters	**Roads Tr. lines & Raliway line**
1	2	**3**
1	Loss of Value of timber, fuelwood and minor forest produce on an annul basis, including loss of man hours per annum of people who derived livelihood and wage from the harvest of these commodities	
2	Loss of Animals husbandry productivity including loss of fodder	
3	Cost of human resettlement	
4	Loss of public facilities and administrative infrastructure (Roads, Buildings, Schools, Dispensaries, Electric lines, Railways etc.) on which would require forest land if these facilities were diverted due to the project.	
5	Environmental losses;(Soil erosion, effect on hydrological cycle, wildlife habitat, microclimate upsetting of ecological balance.)	
6	Suffering to oustees	Nil

Name of Projct:-

Parameter for Evaluation of Benefit, notwithstanding loss of Forests
Nature of Proposal Annexure-VI (C)

Sl.no.	Parameters	**Roads Tr. lines & Raliway line**
1	Increase in productivity attributable to the specific project.	
2	Benefits to economy	
3	No. of population benefited.	
4	Employment potential.	
5	Cost of acquisition of facility on non forest land wherever feasible.	
6	Loss of (a) agricuitural & (b) animal, husbandry production due to diversion of forest land.	
7	Cost of rehabilitating the displaced persons as different from compensatory amounts given for displacement.	
8	Cost of supply of free fuel-wood to workers residing in or near forest area during the period of construction.	

परियोजना का नामः—

स्थल विशिष्ट होने न होने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल स्थलीय विशिष्ट है।

ह0/

जिलाधिकारी,

ह0/—

प्रभागीय वनाधिकारी

परियोजना का नामः—

परियोजना से उत्पादित मलवें के निस्तारण की समानचित्र योजना

ह0/—
प्रभागीय वनाधिकारी

ह0/—
प्रयोक्ता एजेन्सी

:मानक शर्तें:

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके यायक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर–रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नही हांगा।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्दादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वछन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की नि:शुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूतिम का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाईनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व0 क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी सा0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उ0प्र0 वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्टि प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुश्चित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य है।

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

परियोजना का नामः—

प्रस्तावित परियोजना के लिये ली गई वन भूमि के सीमांकन करने हेतु आर0सी0सी0 पिलरों का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

ह0/—
प्रयोक्ता एजेन्सी

परियोजना का नामः–

लीज अवधि का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि .....वर्षो की लीज पर ली जा रही है।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

परियोजना का नामः–

प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना हेतु कैचमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित वन भूमि के ट्रीटमेन्ट हेतु कैचमेनट ट्रीटमेन्ट प्लान प्रस्तुत है।

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकरी

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

परियोजना का नामः–

<u>प्रस्तावित परियोजना का ले आऊट प्लान एवं मदवार विवरण</u>

पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से आगे मार्ग निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र

यदि मोटर मार्ग का विस्तारीकरण किया जाना प्रस्तावित हो तो पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से सम्बन्धित भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृति पत्र संलग्न किया जाय तथा मार्ग के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण का उल्लेख किया जाय ।

ह0 **ह0**

प्रयोक्ता एजेन्सी **प्रभागीय वनाधिकारी**

परियोजना का नामः–

परियोजना से सम्बन्धित अन्य सूचनायें